



हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित

प्रथमा भवन, गांधी हिल्स, डाकघर हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442005

(पंजीयन संख्या WDA/WDA/RSR/(CR)414/2012-13)

सदस्यता हेतु आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष

हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख
संस्था मर्यादित, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा।

आ.सं.: _____

दिनांक: _____

महोदय,

मैं हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित का/की सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ। मुझसे संबंधित वांछनीय जानकारी इस प्रकार है :

- 1 आवेदक का नाम _____
- 2 पिता/पति का नाम _____
- 3 जन्मतिथि _____
- 4 लिंग स्त्री / पुरुष
- 5 जाति सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./घु.वि.जा./ज.जा./वि.पि.वर्ग
- 4 राष्ट्रीयता _____
- 5 पदनाम _____

➤ आई कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।

- 6 नियुक्ति : स्थायी/ परीक्षा अवधि में _____
- 7 समस्त कटौतियों उपरांत शुद्ध वेतन _____
- 8 कार्यभार ग्रहण तिथि _____
- 9 सेवानिवृत्ति की तिथि _____
- 10 विभाग, जहाँ आवेदक आज कार्यरत है _____
- 11 वर्तमान पता एवं संपर्क हेतु नम्बर _____

दूरभाष: (आ.) _____ मो.: _____

ई-मेल :

- 12 स्थायी पता एवं संपर्क हेतु नम्बर _____

दूरभाष: (आ.) _____ मो.: _____

ई-मेल :

- 13 उत्तराधिकारी का नाम _____

पता _____

आयु एवं आवेदक से रिश्ता _____

साख संस्था के नियमानुसार मैंने सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क रु.100/- तथा न्यूनतम 1 अंश की राशि रु.500/- सहित कुल राशि रु.600/- संस्था में जमा कर दी है जिसकी पावती संख्या _____ दिनांक _____ है।

इस साख संस्था के समस्त नियम मैंने पढ़ और समझ लिए हैं तथा मुझे मान्य हैं। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि ये सभी नियम मुझपर बंधनकारक होंगे। मैं प्रतिज्ञापूर्वक यह भी घोषित करता हूँ कि उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य और सही है जिसके गलत पाए जाने की स्थिति में संस्था द्वारा मेरी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

अतः कृपया मुझे सदस्यता प्रदान की जाए।

स्थान : _____

दिनांक : _____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

फार्म-के

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 45(1) के अंतर्गत घोषणापत्र

मैं-----, पुत्र/पुत्री श्री -----,

स्थायी निवासी-----जिला-----

आज आवेदन की तिथि -----20-- को घोषणा करता/करती हूँ :

- कि मैं किसी भी सहकारी साख संस्थाओं का/की सदस्य नहीं हूँ (अथवा)
- कि मैं निम्नांकित सहकारी साख संस्थाओं का/की सदस्य हूँ :
 - 1)
 - 2)
 - 3)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 के अंतर्गत धारा-45 के अनुसार मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं केवल एक ही वेतनभोगी सहकारी संस्था से अर्थात् हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित से ऋण लूंगा/लूंगी।

स्थान : -----

दिनांक : -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

परिचयदाता

आवेदक श्री ----- मेरे सुपरिचित हैं और उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरा गया समस्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि इन्हें हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित की सदस्यता देने हेतु इनके आवेदन पर विचार किया जाए।

स्थान : -----

सदस्य के हस्ताक्षर -----

दिनांक : -----

सदस्य संख्या -----

कार्यालयीन उपयोग हेतु

1	आवेदन प्राप्ति की तिथि	_____
2	आवेदन प्रपत्र की जांच तिथि	_____
3	आवेदन टिप्पणी सहित संचालक मंडल की दिनांक ----- को संपन्न ----- बैठक में प्रस्तुत किया गया। संचालक मंडल ने आवेदन पर विचार कर आवेदक को सदस्यता प्रदान करना स्वीकार किया/अस्वीकार किया।	

अंश संख्या -----, अंश प्रमाणपत्र -----

अंश बही संख्या ----- पृष्ठ सं. ----- पर दर्ज किया।

स्थान : -----

कोषाध्यक्ष

सचिव

दिनांक : -----

हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित

**हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख्र संस्था मर्यादित
की सदस्यता प्राप्ति संबंधी नियम एवं शर्तें**

1	आवेदक को विश्वविद्यालय की स्थायी सेवा में होना चाहिए।
2	आवेदन के साथ न्यूनतम 1 अंश के मूल्य रु.500/- तथा प्रवेश एवं प्रशासनिक शुल्क रु.100 /- सहित कुल राशि रु.600/- जमा करना आवश्यक है।
3	अपूर्ण आवेदन-प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
4	आवेदन प्रपत्र के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से स्थायी सेवा में होने एवं वेतन संबंधी अन्य विवरण का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
5	सदस्यता आवेदन प्रपत्र में दर्शाए गए उत्तराधिकारी के नाम में भविष्य में किसी भी संशोधन/परिवर्तन हेतु लिखित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क सहित संस्था को आवेदन करना होगा।
6	संचालक मंडल द्वारा सदस्यता आवेदन की स्वीकृति के अगले माह से सदस्य के मासिक वेतन से न्यूनतम 1 अंश के मूल्य रु.500/- की कटौती आरंभ की जाएगी।
7	रु.500/- के अंशदान को रोकने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए सदस्य को साख्र संस्था को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा ऐसे आवेदन भी सदस्य को जारी समस्त मूल अंश प्रमाणपत्रों को संलग्न करने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। मौखिक अथवा सीधे विश्वविद्यालय को किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
8	सदस्यता स्वीकृति के 3 माह बाद तक निरन्तर मासिक अंशदान की प्राप्ति के बाद ही किसी भी प्रकार के ऋण के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा परंतु संचालक मंडल आवेदक की परिस्थिति को देखते हुए आकस्मिक ऋण देने पर विचार कर सकता है।
टिप्पणी :	
➤	विस्तृत जानकारी के लिए संस्था की आदर्श उपविधि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लिंक किए हुए संस्था की वेबपृष्ठ का अवलोकन किया जा सकता है।
➤	संचालक मंडल द्वारा किसी भी परिस्थिति में सदस्यता स्वीकृत किए जाने की स्थिति में आवेदन के साथ जमा ऋण राशि संस्था द्वारा आवेदक को लौटा दी जाएगी और उस पर कोई भी ब्याज आदि आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।
➤	आवेदक को जब तक संचालक मंडल द्वारा सदस्यता स्वीकृत नहीं की जाती तब तक आवेदक को राशि संचालक मंडल द्वारा सदस्यता आवेदन के स्वीकृति दिए जाने तक की अवधि में आवेदक को सदस्यता का अधिकार नहीं होगा।